

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: मातृ मृत्यु समीक्षा

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): मातृ मृत्यु समीक्षा

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.1.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : इस कार्यक्रम अंतर्गत सभी मातायें जिनकी मृत्यु प्रसव से संबंधित जटिलताओं के कारण हो रही है, के आँकड़ें तथा मृत्यु के कारणों की समीक्षा करना आवश्यक है। मातृ-मृत्यु, संस्थागत प्रसव तथा घर दोनों में होता है। अस्पताल में होने वाली मातृ-मृत्यु ज्यादातर बड़े अस्पताल यथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा जिला अस्पताल में होता है। अतः प्रारंभ में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा जिला अस्पताल से इसके आँकड़ें एकत्र करने होंगे। घरों में होने वाली मातृ-मृत्यु की जानकारी समुदाय से प्राप्त करनी होगी।

इकाई राशि (रु० में) : ₹900/- मातृ मृत्यु समीक्षा

वित्तीय दिशा निर्देश :

गतिविधि	समय सीमा	Incentive/ अन्य व्यय
आशा/अन्य के द्वारा महिला (15 से 49 वर्ष) की मृत्यु की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक सूचना	मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर टेलिफोन के द्वारा	रु० 200/रिपोर्ट
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन तथा राज्य स्तर तक सूचना उपलब्ध कराना (समुदाय में मृत्यु होने पर)	टेलिफोन से मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के 24 घण्टे के भीतर	कोई राशि नहीं
ए.एन.एम./नर्स/एल.एच.वी के द्वारा मातृ-मृत्यु की पुष्टि तथा समुदाय स्तर पर जाँच हेतु	मातृ-मृत्यु के तीन सप्ताह के अन्दर	प्रति व्यक्ति 100 रु० (अधिकतम तीन व्यक्तियों के लिए)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा मेडिकल कालेज अस्पताल/जिला अस्पताल के नोडल पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को विहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु	मातृ-मृत्यु के चार सप्ताह के अन्दर	कोई राशि नहीं
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा मेडिकल कालेज अस्पताल/जिला अस्पताल के नोडल पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन/जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर तक मातृ-मृत्यु की सूचना प्रेषित करने हेतु (अस्पताल में मृत्यु होने पर)	टेलिफोन से मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के उपरांत 24 घण्टे के भीतर	कोई राशि नहीं
मातृ-मृत्यु समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में) तथा मातृ-मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट का प्रेषण।	प्रत्येक माह (पिछले माह में हुई मातृ-मृत्यु हेतु)	कोई राशि नहीं
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में मातृ-मृत्यु समीक्षा की बैठक का आयोजन	महीने में एक बार	मृतका के स्वजन को प्रति व्यक्ति 200 रु० की राशि (मात्र दो व्यक्तियों के लिए)

B

✓

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) मुख्य सचिव, बिहार सरकार का पत्रांक:-SHSB/MCH/37/2008/19687, दिनांक:-06.09.2010

(ख) SHSB/MCH/37/2008/26035, दिनांक:-10.05.2011

(ग) भारत सरकार का पत्रांक: M.12015/148/2011-MCH, दिनांक 14.02.2013

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705 / 9431005972

B

21



अनूप मुखर्जी,

पत्रांक SHSB/MCH/37/2008/19687
दिनांक— 06.09.10

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR

मुख्य सचिव, बिहार सरकार

Main Secretariat, Patna-800015

मुख्य सचिवालय, पटना-800015

Tel : 0612-2215804

Fax : 0612-2217085

मातृ स्वास्थ्य के वांछित लक्ष्य की प्राप्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

इस प्रयोजनार्थ मातृ-मृत्यु की समीक्षा एक महत्त्वपूर्ण प्रभावी तरीका है। इसके अंतर्गत सभी मातायें जिनकी मृत्यु प्रसव से संबंधित जटिलताओं के कारण हो रही है, के आँकड़ें तथा मृत्यु के कारणों की समीक्षा करना आवश्यक है। मातृ-मृत्यु संस्थागत प्रसव तथा घर दोनों में होता है। अस्पताल में होने वाली मातृ-मृत्यु ज्यादातर बड़े अस्पताल यथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा जिला अस्पताल में होता है। अतः प्रारंभ में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा जिला अस्पताल से इसके आँकड़ें एकत्र करने होंगे। घरों में होने वाली मातृ-मृत्यु की जानकारी समुदाय से प्राप्त करनी होगी। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तथा समुदाय को मातृ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं तत्पर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि :-

- सभी असीनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मातृ मृत्यु होने के 48 घण्टे के अंदर तथा सूचना प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर मातृ मृत्यु की समीक्षा करेंगे तथा मातृ मृत्यु के आँकड़ों का मासिक प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजेंगे। समिति आँकड़ों को समेकित कर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य तथा मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेगी।
- मातृ-मृत्यु समीक्षा (Maternal Death Reveiw) के यथाचित क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर पूर्व गठित जिला गुणवत्ता यकीन समिति (District QAC) द्वारा ही मातृ-मृत्यु समीक्षा का कार्य किया जाएगा।
- यह समिति मातृ-मृत्यु के कारणों की गहन छानबीन कर सभी मामलों की Case Summary तैयार करेगी तथा जिला पदाधिकारी को इससे अवगत करायेगी। जिला पदाधिकारी आवश्यकतानुसार मासिक बैठक में मातृ मृत्यु की गहन समीक्षा करेंगे।
- यह समिति जिला पदाधिकारी के मासिक बैठक की कार्यवाही को संकलित करेगी तथा मातृ-मृत्यु के कारणों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर दूर करने का प्रयास करेगी।
- मातृ-मृत्यु की सूचना, समीक्षा एवं व्यय निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी -

गतिविधि	समय सीमा	Incentive/ अन्य व्यय	बजट शीर्ष/स्रोत (FMR Code)
आशा/अन्य के द्वारा महिला (15 से 49 वर्ष) की मृत्यु की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक सूचना	मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर टेलिफोन के द्वारा	रु० 50 / रिपोर्ट	MDR(FMR code- A.1.5.1)
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन तथा राज्य स्तर तक सूचना उपलब्ध कराना (समुदाय में मृत्यु होने पर)	टेलिफोन से मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के 24 घण्टे के भीतर	कोई राशि नहीं	
ए.एन.एम./नर्स/एल.एच.वी के द्वारा मातृ-मृत्यु की पुष्टि तथा समुदाय स्तर पर जाँच हेतु	मातृ-मृत्यु के तीन सप्ताह के अन्दर	प्रति व्यक्ति 100 रु० (अधिकतम तीन व्यक्तियों के लिए)	MDR(FMR code- A.1.5.1)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल/जिला अस्पताल के नोडल पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को विहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु	मातृ-मृत्यु के चार सप्ताह के अन्दर	कोई राशि नहीं	

Law for

Be

h



सत्यमेव जयते

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR

मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015

Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2217085

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ग्रामारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा मेडिकल कालेज अस्पताल/जिला अस्पताल के नोडल पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन/जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर तक मातृ-मृत्यु की सूचना प्रेषित करने हेतु (अस्पताल में मृत्यु होने पर)	टेलिफोन से मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के उपरांत 24 घण्टे के भीतर	कोई राशि नहीं	
मातृ-मृत्यु समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में) तथा मातृ-मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट का प्रेषण।	प्रत्येक माह (पिछले माह में हुई मातृ-मृत्यु हेतु)	कोई राशि नहीं	
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में मातृ-मृत्यु समीक्षा की बैठक का आयोजन	महीने में एक बार	मृतका के स्वजन को प्रति व्यक्ति 200 रु० की राशि (मात्र दो व्यक्तियों के लिए)	MDR(FMR code-A.1.5.1)

मातृ-मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के लिए समुदाय स्तर तक आम जनता विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मातृ स्वास्थ्य एवं मातृ-मृत्यु के लिए संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाय। साथ ही इसकी समीक्षा, क्रियान्वयन एवं उन्मुखीकरण हेतु सभी स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन कराया जाय। इस गतिविधि हेतु व्यय PIP-10-11 के MDR(FMR code-A.1.5.1) मद में उपलब्ध राशि से की जाएगी। मातृ-मृत्यु की समीक्षा के पश्चात् जो भी तथ्य सामने आएँ उससे समुदाय/पंचायत स्तर तक सबको अवगत कराया जाय तथा उनको मातृ-मृत्यु के संभावित कारणों की समीक्षा कर इसे रोकने के उपायों के बारे में जागरूक तथा सशक्त करना होगा। मातृ-मृत्यु से संबंधित तथ्यों को सामने लाकर साक्ष्य पर आधारित नीति निर्माण में भी सहयोग करना अपेक्षित होगा।

मातृ मृत्यु के कारणों की जाँच के पश्चात् जो भी कारण सामने आयेगें उसका उद्देश्य किसी भी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को दंडित करना नहीं है बल्कि स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था तथा समुदाय में मातृ स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध सेवाओं में जो व्यवधान हैं, उसकी पहचान करने तथा निर्धारित समय-सीमा के अंदर उनका निराकरण करना है ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संवेदनशील रहकर जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को कर सकें।

स्वस्थ बिहार की कामनाओं के साथ।

भवदीय,

31/3/10

(अनूप मुखर्जी)

जिलाधिकारी,

बिहार

Sanjay Kumar, IAS
Secretary, Health
cum
Executive Director



State Health Society, Bihar

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

Parivar Kalyan Bhawan, Patna 800014

Tele : 0612-2281545, 2290328, Fax : 0612-2290322

Email : ed@statehealthsocietybihar.org

ed_shsbihar@yahoo.co.in

Web : www.statehealthsocietybihar.org



पत्रांक:--SHSB/MCH/37/08/.....

सेवा में,

सभी अधीक्षक,
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति ।

पटना, दिनांक:--...../05/2011

विषय:-- "मातृ मृत्यु समीक्षा" कार्यक्रम मासिक अनुश्रवण प्रारूप में प्रतिवेदन उपलब्ध करने के संबंध में ।

प्रसंग:-- (1) मुख्य सचिव, बिहार सरकार का पत्रांक:-- SHSB/MCH/37/2008/19687, दिनांक:--06.09.2010

प्रसंग:-- (2) D. O. No. M. 12015/60/2008-MCH, दिनांक:-- 8 अप्रैल, 2011

महाशय/महाशया,

आप अनगत हैं कि मातृ स्वास्थ्य में वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से "मातृ मृत्यु समीक्षा" कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सचिव के स्तर से राज्य के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किया जा चुका है । वर्तमान में किसी भी जिले से नियमित बैठक तथा कृत कारवाई की सूचना अप्राप्त है ।

इस सदर्न में प्रासंगिक पत्र (2) के निर्देशानुसार प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 (अप्रैल -11) से प्रत्येक माह सभी जिला स्वास्थ्य समिति (संबंधित जिलान्तर्गत अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल सहित) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मातृ एवं शिशु कोषांग के ई-मेल mch@statehealthsocietybihar.org पर Soft Copy एवं Hard copy फैंक्स/विशेषदूत/स्पीड पोस्ट से नियमित निर्वाध भेजना सुनिश्चित करेंगे । जिससे भारत सरकार को ससमय प्रतिवेदन प्रेषित कर दस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके ।

सभी जिले से प्राप्त मासिक प्रतिवेदन द्वारा मातृ मृत्यु की समीक्षा कर मातृ स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध सेवाओं में जो व्यवधान हैं, उसकी पहचान करके निर्धारित समय सीमान्तर्गत जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर इसका निराकरण किया जाएगा । कृपया उपलब्ध कराये जाने वाले मासिक प्रतिवेदन में आंकड़ें एवं सूचना की प्रविष्टि ध्यानपूर्वक करेंगे ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

अनुलग्नक:-- यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार)

पटना, दिनांक:--10/05/2011

ज्ञापक:--26035

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

: सभी क्षेत्रीय उप-निदेशक, स्वास्थ्य/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

: यूनीसैफ का पत्रांक:--BH/HLTH/2011/279, दिनांक:-- 24 मार्च, 2011 के क्रम में डा०यामीन मजुमदार, मुख्य, यूनीसैफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सभी जिला स्वास्थ्य समिति को तकनीकी सहयोग कराना चाहेंगे ।

सचिव स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

2011

सुरक्षित मातृत्व वर्ष, बिहार

॥ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवता ॥

"Gods reside where women are treated with dignity"

25

167

Maternal Death Review Reporting Format

Name of State: DIST **Month & Year:** _____

1	Number of Maternal Deaths reported during the reporting month			
2	Cumulative number of Maternal Deaths from April 2011 to the reporting month			
3	Number of Maternal Deaths reviewed during the reporting month by District MDR Committee of CMO			
4	Cumulative number of Maternal Deaths reviewed from April 2011 to the reporting month by District MDR Committee of CMO			
5	Number and percentage of Maternal Deaths not reviewed by District MDR Committee of CMO	Total cumulative number of MDs reported (a)	Total cumulative number of MDs reviewed (b)	No of MDs not reviewed (a-b) % of MDs not reviewed $\{(a-b)/a \times 100\}$
6	Number of Maternal Deaths reviewed during the reporting month by District Magistrate			
7	Cumulative number of Maternal Deaths reviewed from April 2011 to the reporting month by District Magistrate			
8	Causes of MDs (Number and percentage) for the reporting month	Number	Percentage	
	Haemorrhage			
	Sepsis			
	Abortion			
	Obstructed Labour			
	Hypertensive disorders in pregnancy*			
	Others **			
	Total ***			
9	How many pregnant women had severe anaemia (tested Hb <7 gm/dl) in numbers (c)			
	How many pregnant women had moderate anaemia (tested Hb 7-9.9 gm/dl) in			

[Signature]

for

26

	numbers (d)	No of MDs expected for the state for one year based on MMR (e)	Cumulative no. of MDs for the year April - March (f)	No of MDs not reported (e-f)	Percentage of MDs not reported out of the numbers expected during the year ((e-f)/e X 100)
	Number of Maternal Deaths in which anaemia has been identified as a cause (direct/ associated) by Hb testing (c + d)				
	Proportion of Maternal Deaths in which anaemia has been identified as a cause (direct/ associated) by Hb testing (c + d)/total MDs for the month X 100)				
10	Proportion of meetings of MDR Committee of CMO held out of the expected number of meetings for the reporting month (@ at least one meeting/district/month as per MDR Guidelines):- No of Meetings held/ No of Expected Meetings X 100 (%)				
11	Remarks (predominant causes of MDs, districts where MDs are concentrated- HF/Non HF districts, Gaps identified etc)				
12	Steps taken by the state to improve reporting of Maternal Deaths				
13	Other corrective actions taken by the state				
14	# Number & percentage of Maternal Deaths not reported for the year				

Note:

- The filled format to be sent to the Maternal Health Division, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi by 10th of each month (by post/fax and email). The email addresses are - dirmisham32@gmail.com, drsunitapaliwal@gmail.com, drravinderk.mph@gmail.com' .
- The state/UT will send "Nil report" as well, in case no Maternal Death occurs in the month.
- Each Maternal Death will have to be fitted into "at the most" one category of causes which would have to be the major cause.
- The State should take the report from each district as per the same format.
- * Includes Eclampsia
- ** Anaemia as a direct cause of MD, to be categorised in "OTHERS" in line with the causes published by RGI-SRS. Anaemia however may be a contributory or associated condition with other major categories of causes as given above. It is essential to capture those MDs in which anaemia has been identified and verified by testing of Hb (Severe anaemia-< 7 gm/dl, Moderate anaemia- 7-9.9 gm/dl)
- *** The sum of the Maternal Deaths classified in separate categories of causes will be equal to the total number of MDs reported during the reporting month.
- # To be reported and calculated by the State/UT on an annual basis (April -March).

Handwritten signature and initials in blue ink.

M.-12015/148/2011 MCH
Ministry of Health & Family Welfare
MH Division

.....
Office Memorandum

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 13th Feb, 2013

Sub: Enhancement of incentive to Primary Informer (ASHA, AWW etc) under the Maternal Death Review (MDR) intervention.

Maternal Death Review (MDR), an important strategy within the implementation framework of the RCH programme under the National Rural Health Mission has been institutionalized across the country to improve the quality of obstetric care and reduce maternal mortality. GOI Guidelines and tools for the implementation of MDR process have been provided to the states in the year 2010. As one element of the MDR Guidelines certain incentives/transaction costs had been proposed at different levels including an incentive for reporting of deaths of women (15-49 years) in the community by ASHA/AWW/others i.e. the Primary Informer, within the laid down timelines.

Taking into consideration the request of some states to suitably enhance the incentive for Primary Informer from the existing Rs 50/- per such death, the Government of India MoHFW has taken a decision to increase this incentive from the existing Rs 50/- to Rs 200/- for each such death reported by the Primary Informer i.e. the field functionary such as ASHA/AWW/Others. It may be noted however, that the health service providers including ANM and Male Health Worker (MPW) are not entitled to receive this incentive even if the death is reported by them.

It is expected that enhancement of this incentive would encourage and motivate frontline workers to report all such deaths. It is emphasized here that the amount of incentives for other activities would remain the same as before.

The enclosed Annexure provides the details of specific incentives for activities at different levels including the revised amount for Primary Informer.

This issues with the approval of the competent authority.

Manisha

(Dr. Manisha Malhotra)
Dy. Commissioner (Maternal Health)

To:

1. Mission Directors of all States
2. Programme Officers (Maternal Health) of all States

for Sr
28

VB *W*

Incentives under MDR

SN	Activity	Time line	Incentive/Transaction Cost		Source
			Existing	Revised	
1	Reporting death of women (15-49 years) by ASHA/AWW/ANM to the Block PHC MO	Within 24 hours of occurrence of death by phone	Rs.50	Rs 200/ for each death reported	HSC untied fund
			NOTE: Health service providers e.g. ANM, MPW, LHV etc are not eligible to receive this incentive.		
2	Reporting death of woman by Block MO to the DNO	Within 24 hours of occurrence of death by phone	No incentive		
3	Community based investigation	Within 3 weeks of occurrence of death	Rs.100 per person to a maximum of three persons		HSC untied fund
4	Monthly MDR meeting chaired by District Magistrate/Dist. Collector	Once in a month	Incentive of Rs.200 each for two persons of the deceased family		District hospital RKS



